भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 614 का उत्तर

जलगाँव और मुंबई रेल दुर्घटनाएं

614. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलगाँव में हुई दुर्घटना, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी, सहित जनवरी से जुलाई 2025 के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी और जून 2025 में हुई क्रमशः जलगाँव और मुंबई रेल दुर्घटनाओं सहित, ऐसी दुर्घटनाओं के कारण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं के बाद रेलवे अवसंरचना पर सुरक्षा ऑडिट किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेलवे सुरक्षा के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा अत्यधिक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में व्यस्ततम समय के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में काफी गिरावट आई

है। परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं वर्ष 2014-15 में 135 से घटकर वर्ष 2024-25 में 31 रह गई हैं, जिन्हें नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

यह नोट किया जाए कि वर्ष 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1711 (औसतन 171 प्रतिवर्ष) थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 31 और वर्ष 2025-26 (जून तक) 3 रह गई हैं।

रेलगाड़ी परिचालन में बेहतर संरक्षा दर्शाने वाला अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक दुर्घटना प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर (एपीएमटीकेएम) है, जो वर्ष 2014-15 में 0.11 से घटकर 2024-25 में 0.03 रह गया है, जो उक्त अवधि के दौरान लगभग 73% का सुधार दर्शाता है।

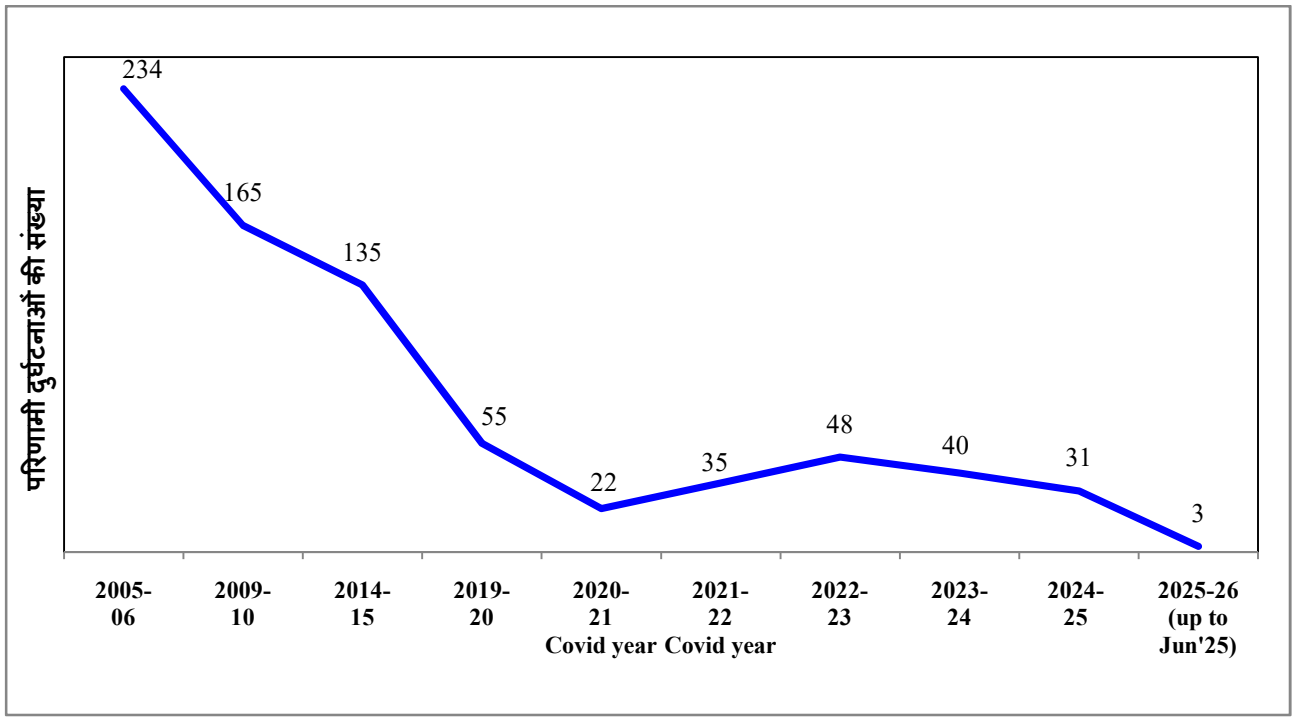

भारतीय रेल में हुई परिणामी रेल दुर्घटनाएं और उनमें हताहतों (रेल यात्रियों और रेल कर्मियों सहित) की संख्या निम्नानुसार हैं:-

अवधि	परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2004-05 से 2013-14 तक	1711	904	3155
2014-15 से 2023-24 तक	678	748	2,087

1 जनवरी, 2025 से 15 जुलाई, 2025 तक, भारतीय रेल में कुल 06 परिणामी रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में रेलपथ की खराबी, सिगनल की विफलता और मानवीय चूक आदि शामिल हैं। मुंब्रा की घटना में दुर्घटना के कारणों की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

बहरहाल, भारतीय रेल में लोगों के कुचले जाने की दो दुर्भाग्यपूर्ण असामान्य घटनाएँ भी हुईं हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:-

1. दिनांक 22.01.2025 को, मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के परधाड़े और माहेजी स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी संख्या डाउन 12627 कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से कुल 12 यात्रियों की मृत्यु हुई।
2. दिनांक 09.06.2025 को, मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के मुंब्रा स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या एन-10 लोकल ईएमयू से 4 व्यक्ति गिर गए और गाड़ी की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई।

रेलवे द्वारा नियमित रूप से दो प्रकार के संरक्षा लेखापरीक्षा किए जा रहे हैं:

- प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों के अपने-अपने मंडलों के द्वारा अर्धमासिक संरक्षा लेखापरीक्षा; और
- रेलवे अधिकारियों की एक बहु-विषयक टीम द्वारा वर्ष में दो बार, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि में अंतर-क्षेत्रीय रेल संरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।

ऐसे संरक्षा लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परिसंपत्ति अनुरक्षण, संरक्षा प्रक्रियाओं आदि में ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को चिह्नित करना और निवारक उपाय सुझाना है।

भारतीय रेल पर पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर हुए व्यय में निम्नानुसार बढ़ोतरी हुई है:

संरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर व्यय (करोड़ रु. में)					
	2013-14 (वास्तविक)	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (वास्तविक)	संशोधित अनुमान 2024-25	बजट अनुमान 2025-26
रेलपथ का अनुरक्षण और निर्माण कार्य	9172	18,115	20,322	21,800	23,316
रेल इंजनों और चल स्टॉक का अनुरक्षण	14796	27,086	30,864	31,540	30,666
मशीनों का अनुरक्षण	5406	9,828	10,772	12,112	12,880
सड़क संरक्षा समपार और ऊपरी/निचले सड़क पुल	1986	5,347	6,662	8,184	7,706
रेलपथ नवीकरण	4985	16,326	17,850	22,669	22,800
पुल संबंधी कार्य	390	1,050	1,907	2,130	2,169
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	905	2,456	3,751	6,006	6,800
उत्पादन इकाइयों सहित कारखानों तथा संरक्षा पर विविध व्यय	1823	7,119	9,523	9,581	10,134
कुल	39,463	87,327	1,01,651	1,14,022	1,16,470

अधिक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य हितधारकों के समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

1. **रेल संरक्षा बल द्वारा जागरूकता और संवेदीकरण अभियान चलाए जाते हैं।**
2. **निवारक उपायों के लिए मंडल स्तरीय समिति द्वारा दुर्घटना संभावित स्थानों का दौरा किया जाता है।**
3. **लाउड हेलर्स के साथ-साथ सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर लगातार उद्घोषणाएं की जाती हैं।**
4. **स्टेशन क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित करने और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणालियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।**
5. **दरवाजे/छत या प्रतिबंधित स्थानों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।**

*****